


पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास , आर.ए.एस
राजस्व आवेदन संख्या 73/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मालाराम पुत्र देवाराम उम्र 70 वर्ष		1. उदाराम पुत्र हीराराम उम्र 55 वर्ष
2. चेतनराम पुत्र देवाराम उम्र 67 वर्ष		2. खेमाराम पुत्र पदमाराम उम्र 50 वर्ष
3. रावताराम पुत्र देवाराम उम्र 72वर्ष		3. जैतीदेवी पत्नि बालाराम उम्र 65 वर्ष
4. कुंभाराम पुत्र सुराराम उम्र 66 वर्ष		4. जराा पुत्र विरधा उम्र 35 वर्ष
5. पुरखाराम पुत्र सुराराम उम्र 73वर्ष		5. जराराम पुत्र तुलाराराम उम्र 32 वर्ष
6. बागाराम पुत्र सुराराम उम्र 70 वर्ष		6. तिलाराम पुत्र लालाराम उम्र 40 वर्ष
7. बीजाराम पुत्र सुराराम उम्र 68 वर्ष		7. देदाराम पुत्र हीराराम उम्र 42 वर्ष
8. सताराम पुत्र खेमाराम उम्र 60 वर्ष		8. दलुदेवी पत्नि तुलाराराम उम्र 66 वर्ष
9. भेराराम पुत्र खेमाराम उम्र 58 वर्ष		9. नानगाराम पुत्र हीराराम उम्र 53 वर्ष
जातियान जाट निवासी लूखो की डाणी		10. भूराराम पुत्र नगाराम उम्र 75 वर्ष
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		11. भानाराम पुत्र तुलाराराम उम्र 36 वर्ष
		12. मोडाराम पुत्र पदमाराम उम्र 57 वर्ष
		13. रूपाराम पुत्र तुलाराराम उम्र 38 वर्ष
		14. रावताराम पुत्र किरताराम उम्र 45 वर्ष
		15. लुम्बाराम पुत्र विरधाराम उम्र 32 वर्ष
		16. वरजूदेवी पत्नि हीराराम उम्र 75 वर्ष
		17. विरमाराम पुत्र हीराराम उम्र 50 वर्ष
		18. सताराम पुत्र विरधाराम उम्र 55 वर्ष
		19. हरचन्द्रराम पुत्र देवाराम उम्र 54 वर्ष
		20. हरजीराम पुत्र पदमाराम उम्र 62 वर्ष
		21. हिमताराम पुत्र तुलाराराम उम्र 45 वर्ष
		जातियान जाट निवासी लूखो की डाणी
		तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		22. उमाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 55 वर्ष
		23. नवलाराम पुत्र घमण्डाराम उम्र 51 वर्ष
		24. मोहनराम पुत्र घमण्डाराम उम्र 45 वर्ष
		25. हीराराम पुत्र घमण्डाराम उम्र 50 वर्ष
		जाति जाट निवासी सुथारो की बेरी
		तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
		26. पनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 51 वर्ष
		27. धनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 53 वर्ष
		28. खेमाराम पुत्र वगताराम उम्र 32 वर्ष
		29. चेतनराम पुत्र पुरखाराम उम्र 55 वर्ष
		30. जालाराम पुत्र वगताराम उम्र 34 वर्ष
		31. बीजाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 57 वर्ष
		32. वगतूदेवी पत्नि वगताराम उम्र 55 वर्ष
		33. खेराजराम पुत्र जीयाराम उम्र 57 वर्ष


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

35. ठाकराराम पुत्र उदाराम उम्र 30 वर्ष
36. दौलाराम पुत्र पदमाराम उम्र 47 वर्ष
37. नानगाराम पुत्र पदमाराम उम्र 45 वर्ष
38. सताराम पुत्र उदाराम उम्र 37 वर्ष
39. हरजीराम पुत्र जीयाराम उम्र 55 वर्ष
40. कोसलाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 72 वर्ष
41. हरकाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 70 वर्ष
42. हीराराम पुत्र डूंगराराम उम्र 75 वर्ष
43. चेतनराम पुत्र देवाराम उम्र 63 वर्ष
44. मालाराम पुत्र देवाराम उम्र 66 वर्ष
45. रावताराम पुत्र देवाराम उम्र 70 वर्ष
46. खेताराम पुत्र ताजाराम उम्र 38 वर्ष
47. रावताराम पुत्र ताजाराम उम्र 40 वर्ष
48. भेराराम पुत्र खेमाराम उम्र 50 वर्ष
49. सताराम पुत्र खेमाराम उम्र 47 वर्ष
जातियान जाट निवासी लूखो की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
50. अमराराम पुत्र कानाराम उम्र 77 वर्ष
51. उदाराम पुत्र कानाराम उम्र 74 वर्ष
52. नारणाराम पुत्र कानाराम उम्र 70 वर्ष
53. नोजीदेवी पत्नि ठाकराराम उम्र 60 वर्ष
54. पूनमचन्द पुत्र कानाराम उम्र 72 वर्ष
55. रमेश पुत्र ठाकराराम उम्र 28 वर्ष
56. लक्ष चौधरी पुत्र ठाकराराम उम्र 42 वर्ष
57. किरताराम पुत्र ईषराराम उम्र 72 वर्ष
58. गुमनाराम पुत्र ईषराराम उम्र 70 वर्ष
जातियान जाट निवासी मीठीयावास,
लूखो की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
59. किरताराम पुत्र प्रभूराम उम्र 85 वर्ष
जाति सुथार निवासी लूखो की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
60. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति-

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

10/11/21
उपखण्ड अधिकारी


आदेश

दिनांक 21.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा कमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012, 3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा कमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012, 3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा कमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012, 3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा कमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012


अधिकारी


,3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा के खेत लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा क्रमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012, 3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लूखो की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1464, 1465, 1465/2, 1486, 1487, 1487/2, 1492, 1528, 1765/1078 रकबा क्रमश 0.0485, 6.1322, 1.8526, 0.0243, 3.9884, 1.9012, 3.7376, 6.0999, 9.2226 हैक्टेयर, कुल हैक्टेयर 33.0073 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1077 रकबा 6.0513 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी